न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –16 / 2018
(आरसीएमएस – 2018 / 00018)

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. रामकिशोर पुत्र धूलाराम 2. सुशील पुत्र रामकिशोर जातियान जाट निवासीगण बासनीसेजा, तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर		1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, मेड़ता जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री डुंगर राम चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 15-03-2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 05 / 2017 सरकार बनाम रामकिशोर अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.01.2018 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया आर.एल.आर.एक्ट की धारा 91 में पटवारी हल्का धनापा ने नायब तहसीलदार, मेड़ता के समक्ष रिपोर्ट की, संवत 2074 में ग्राम धनापा के खसरा नम्बर 2563, 2564 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलांट्स द्वारा नाजायज कब्जा किया है। जिसका अपीलांट्स को नोटिस मिलने पर अपीलांट्स ने तामिल होने पर वादग्रस्त खसरा भूमि पर अतिक्रमण बाबत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रस्तुत कर बताया कि खसरा नं. 2563, 2564 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट्स के जवाब पर पटवारी हल्का धनापा से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं बयान दिनांक 10.01.2018 को लिए जिनमें पटवारी हल्का ने बताया कि अपीलांट (गेर सायलान) ने जो पश्वातवर्ती अतिक्रमण किया वह अभी भी कायम है, गेर सायलान द्वारा संवत 2073 में भी अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है। गेर सायल द्वारा उक्त राजकीय भूमि पर संवत 2073 में भी अवैध रुप से अनाधिकृत कब्जा कर अतिचार किया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई न्यायिक माइंड अप्लाई किये दुबारा अतिक्रमण किया जाना पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आना मानकर अपीलांटान को भौतिक रुप से बेदखल करने का आदेश दिया व वार्षिक लगान की दर से 1.68 के 50 गुणा रुपये 84 / – जुर्माना अधिरोपित किया और अपीलांटान को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घौषित किया जाकर दोनों को एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई। जिससे व्यथित होकर अन्दर मियाद यह अपील अतिरिक्त आधरों के अलावा निम्न अधारों पर प्रस्तुत है–

निर्णय जैर अपील कुतेई गलत, विधि विरुद्व व न्याय के सामान्य सिद्वांतो के विपरीत पारित किया होने से निरस्त लायक है। मौजा धनापा के खसरा नं. 2563, 2564 रकबा 0.

कलक्टर, नागौर

42 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलांटान को अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में अदालत मातहत ने गलती की है। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का पूर्व अदावती व अपीलांटान के खिलाफ पार्टी के लोगों के सिखाने से अतिक्रमण की झुठी व असत्य रिपोर्ट पेश की है तथा झुठी रिपोर्ट करवाई जाकर जैल की सजा दिलाई जाने का असफल प्रयास किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट्स अथवा वादग्रस्त खसरा भूमि के पड़ौसियों के कथन लिए बिना ही अतिक्रमण होना मान लिया है। अदालत मातहत के समक्ष ऐसी कोई मानने योग्य साक्ष्य नहीं थी जिसके आधार पर अपीलांटान का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अथवा अतिक्रमण माना जावे अथवा पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना जावे। इस कारण निर्णय जेर अपील तथ्यों के विपरीत होने से सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट्स के जवाब पर रेस्पोडेन्ट ने कोई जांच नहीं की न किसी पड़ौसी अथवा गांव के लोगों से व रिकॉर्ड से भी जांच की, केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट को सही मान लिया गया। पटवारी हल्का ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मांगी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट में मात्र यह लिखा है कि ग्राम धनापा के खसरा नं. 2563 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गेर मुमकिन रास्ता व खसरा नं. 2564 रकबा 0.37 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा भूमि पर प्रार्थी रामकिशोर पुत्र धूलाराम, सुशील पुत्र रामकिशार कौम जाट निवासी बासनीसेजा ने बाड़ कंटिली झाड़ियो सें बनाकर कब्जा किया हुआ है। इस मौका की जांच रिपोर्ट का कोई भौतिक नक्शा रिपोर्ट के साथ पेश नहीं किया गया। जिससे पटवारी की जांच रिपोर्ट जो स्वयं में संदिग्ध है ऐसी सुरत में बिना जांच किये, बेदखली व सजा जैसा कठोर आदेश देना न्योयोचित नहीं है। केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर बेदखली नहीं की जा सकती है। इस तथ्य पर व कानूनी प्रावधान पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया। अपीलांटान के विरुद्व प्रकरण ऐसा है जिसमें तथ्यों की जांच करके विवेचनात्मक निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। क्योंकि पटवारी ने जो आरोप लगाये है वे असत्य है। अपीलांटान का कोई कब्जा नहीं है और न ही अपीलांटान ने कांटो की बाड ही की है। पटवारी ने बाड़ (कंटिली झाड़ियो से) होना असत्य लिखा हे जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने लायक है।

पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह माना जावे कि अपीलांटान दोनों के शामिल में कब्जा अथवा बाड़ है तथा उसका नाप–चोप क्या है, बाड़ नई है या पुरानी है, आदि का कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी सुरत में अपीलांटान के विरुद्व बेदखली व जुर्माना एवं सिविल कारावास का निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की गई है। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने लायक है। अदालत मातहत ने अपीलांटान को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने लायक है।

अपीलांटान को जोईन्ट नोटिस दिया जाकर जोईन्ट कार्यवाही खोली गई है जो कानून में Bad in Law and unwarranted माना गया है तथा Achual measurement भी अपीलांटान के विरुद्व नहीं बताया गया है कि उन्होने कितना अतिक्रमण किया तथा कितनी भूमि पर से बेदखल किया जाना है तथा किस अपीलांटान पर कितना–कितना अर्थदण्ड किया गया है उसको भी किस प्रकार से बांटा जावेगा यह भी अस्पष्ट है। और अपीलांटान पिता पुत्र है। पटवारी के स्टेटमेंट रिकोर्ड किये बिना व पटवारी से जिरह किये बिना केवल मात्र पटवारी की सरसरी रिपोर्ट पर बेदखली व अर्थदंड व सिविल कारावास का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। ऐसी सुरत में आदेश/निर्णय जैर अपील इललिगल व ऐररनेस होने से निरस्त लायक है।

अधिनस्थ न्यायालय के रेकॉर्ड पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलांटान को पूर्व में बेदखल किया गया हो और उनका पश्चातवर्ती अतिक्रमण हो तथा पटवारी हल्का के बयानों व दस्तावेजी साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि अमूक मुकदमें में अपीलांटान को पूर्व में बेदखल किया गया था तथा न ही निर्णय जैर अपील में अपीलान्टान के विरुद्व पूर्व में

कलक्टर, नागौर

मुकदमा दर्ज होकर बेदखली के आदेश होने का कोई हवाला है न मुकदमा नंबर दर्ज है न पूर्व के निर्णय की कोई तारिख अंकित है तथा न नही पटवारी की मौखिक साक्ष्य में अपीलान्टान को बेदखल करने के साक्ष्य के दस्तावेजात को ही अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रदर्शित कर साबित करवाया गया है। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कथन करने वाले व्यक्ति/पटवारी द्वारा अपने कथनों में कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित किये बिना उस दस्तावेज को व उसकी अर्न्तवस्तु को साक्ष्य में साबित नहीं माना जा सकता है और न ही उसे साक्ष्य के रुप में पढ़ा जा सकता है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोइ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं थी जिससे यह साबित माना जावे कि अपीलांटान ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायिक माइंड अप्लाई किये बिना व बिना किसी पर्याप्त आधार के सिविल कारावास का निर्णय पारित किया है जो कानूनी रुप से अवैध है जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने लायक है।

अपीलांटान के खेत, ट्यूबवेल व बाड़े का रास्ता वादग्रस्त गेर मुमकिन मगरा की भूमि पर से होकर कटाणी मार्ग को जाता है तथा पटवारी हल्का अपीलांटान के विरुद्व शिकायतकर्ता लोग चेनाराम, बाबूलाल आदि के खास व्यक्ति है जिससे उनके सिखाने व बहकाने से सरकारी भूमि जो रास्ते के रुप में काम आ रही है उसे ही अपीलांटान का अतिक्रमण बताकर पटवारी ने मिथ्या पेश की है। अपीलांटान ने पटवारी हल्का के खास व्यक्ति चेनाराम, बाबूलाल आदि द्वारा वादग्रस्त खसरा मगरा भूमि व रास्ते पर से अवैध खनन कर बहुत गहराई तक पत्थर निकाल लिए और अपीलांटान के घर के पास में लाल बत्ती वाले विस्फोट करते है जिससे विस्फोट के वक्त बड़े बड़े पत्थर उछल कर अपीलांटान के मकान, बाडे, नलकूप व जानवरो के बाडे में गिरते है जिससे दुर्घटना हुई जिसकी रिपोर्ट अपीलांटान ने थाने में कि तथा जिला कलक्टर महोदय नागौर के समक्ष भी शिकायतें की जिस पर सहायक खनिज अभियंता खनिज विभाग गोटन के कार्यालय से शिकायतकर्ता व्यक्तियों के विरुद्व सरकारी खनिज निकालने व चोरी करने पर भारी राशि वसूलने का नोटिस जारी किया। जो अपीलांटान की शिकायत पर दबाव बनाने व तंग परेशान करने की नियत से पटवरी से झुठा केस तैयार करवाया है जिससे स्पष्ट है कि संबंध में नायब तहसीलदारजी ने अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना उसे सही मानकर अपीलांटान को सजा से दण्डित करने का निर्णय करने में विधिक त्रुटि की है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. सितम्बर,2001 पेज–401, आर.आर.डी. 1977 पेज 591, आर.आर.डी. 1990 पेज 351, आर.आर.टी. 2014–15(Supp.) पेज–728 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने वकील प्रार्थीगण की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का धनापा द्वारा खसरा नम्बर 2563 व 2564 रकबा 0.42 हैक्टर गै.मु. रास्ता की भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा नाजायज कब्जा कर लेने के संबंध में पश्चातवर्ती अतिक्रमण की रिपोर्ट दिनांक 8.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये। उक्त संबंध में अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत जबाब के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का धनापा से रिपोर्ट चाही गई, जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.01.2018 से उक्त वादग्रस्त भूमि पर बाड़ बनाकर (कंटिली झाड़ियों से) कब्जा किया हुआ होने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। फर्द भौतिक बेदखली दिनांक 12.04.2017 के अनुसार पूर्व में भी तहसीलदार मेड़ता के आदेश दिनांक 20.12.16 की पालना में उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट्स को बेदखल किया गया था। पटवारी हल्का द्वारा अपने बयानों में भी अपीलान्ट्स द्वारा उक्त पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने की ताईद की गई है। अपीलान्ट्स ने ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो कि उसका वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है।

कलक्टर, नागौर

इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांन्तों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का धनापा व निरीक्षक भू अभिलेख मण्डल गोटन द्वारा खसरा नम्बर 2563 व 2564 रकबा 0.42 हैक्टर गै.मु. रास्ता की भूमि पर बाड़ा बनाकर (कंटिली झाड़ियों) के जरिये अपीलान्ट्स द्वारा नाजायज कब्जा कर लेने के संबंध में पश्चातवर्ती अतिक्रमण की रिपोर्ट दिनांक 8.11.2017 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में प्रकरण संख्या 5/2017 दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये। उक्त संबंध में अपीलान्ट रामकिशोर द्वारा दिनांक 29.11.2017 को तथा अपीलान्ट सुशील द्वारा दिनांक 6.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत जबाब के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का धनापा से रिपोर्ट चाही गई, जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.01.2018 से उक्त वादग्रस्त भूमि पर बाड़ बनाकर (कंटिली झाड़ियों से) कब्जा किया हुआ होने की पुनः रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द भौतिक बेदखली दिनांक 12.04.2017 के अनुसार पूर्व में भी तहसीलदार मेड़ता के आदेश दिनांक 20.12.16 की पालना में पटवारी धनापा द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलान्टस् द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर अपीलान्ट्स को बेदखल किया गया है। इसके अलावा पटवारी हल्का द्वारा अपने बयानों में भी अपीलान्ट्स द्वारा उक्त पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने की ताईद की गई है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टस् का कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर